15/12/25	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थापित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली Signature Not Verified Digitally signed by Prem Raj Meena Date: 2026.05.01 13:00:26 IST Reason: SelfAttested	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. राधेश्याम गिरी आयु 56 साल
2. छुट्टनगिरी आयु 70 साल
3. ओम प्रकाशगिरी आयु 26 साल पुत्र पत्तम गिरी
   जाति गुसाई निवासीयान नदी भद्रावत नागा बाबा का डांडा करौली तहसील व जिला करौली राज.

–वादीगण

बनाम

1. दौलतपुरी आयु 80 साल दत्तक पुत्र व चेला शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी धोबीसिंह के नीचे नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली (फौत)
   1/1. भगवानपुरी पुत्र रामदयाल पुरी चेला व दत्तक पुत्र दौलतपुरी जाति गुसांई निवासी धोबी देह के नीचे नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
2. मु. निर्मला देवी पत्नी दुर्गा पाल जाति राजपूत निवासी छतपाडा करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 53 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 16/10

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम सुन्दर शर्मा**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.12.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–16 / 10 तारीख रजुः–16.4.10

उनवान

1. राधेश्याम गिरी आयु 56 साल
2. छुटटनगिरी आयु 70 साल
3. ओम प्रकाशगिरी आयु 26 साल पुत्र पंचम गिरी
   जाति गुसाई निवासीयान नदी भद्रावत नागा बाबा का डांडा करौली तहसील व जिला करौली रांज.

–वादीगण

बनाम

1. दौलतपुरी आयु 80 साल दत्तक पुत्र व चेला शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी धोबीसिंह के नीचे नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली (फौत)
   1 / 1. भगवानपुरी पुत्र रामदयाल पुरी चेला व दत्तक पुत्र दौलतपुरी जाति गुसांई निवासी धोबी देह के नीचे नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
2. मु. निर्मला देवी पत्नी दुर्गा पाल जाति राजपूत निवासी छतपाडा करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 53 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :–15.12.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:26 IS
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वा ग्राम करौली–बी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व की आ खसरा नं0 3693 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, 3821 / 1 रकवा 14 विस्वा, 3822 रकवा 1 विस्वा, 3823 / 1 रकवा 4 बीघा 9 विस्वा, 3824 / 1 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा ख.न. 3826 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा, 3827 रकवा 4 विस्वा, 3828 रकवा 2 विस्वा 3829 रकव 5 विस्वा, 3830

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रकवा 1 विस्वा, 3831 रकवा 7 विस्वा, 3835 रकवा 2 विस्वा, 3836 रकवा 1 विस्वा 3837 रकवा 2 विस्वा 3840 रकवा 5 विस्वा, 3841 रकवा 1 विस्वा, 3842 रकवा 2 विस्वा 3847/1 रकवा 16 विस्वा कुल किता 18 कुल रकवा 12 बीघा 18 विस्वा की स्थित है। जिनमें वादीगण का 1/3, 1/3,1/3 हक व हिस्सा है। मुताविक हिस्सा वादीगण अपने अपने हिस्से पर वहेसियत खातेदार काश्तकार काविज है। वादी ओम प्रकाश ने ख.न. 3823/1 के अलावा 1/4 हिस्से की भूमि रकवा 2 बीघा भूमि को प्रतिवादी सं0 2 को विक्रय कर कब्जा करा दियाव वादी संन 1 व 2 ने ख0न0 3823/1 के अलावा उपरोक्त आराजीयात के अपने हिस्सें की भूमि में से रकवा 2 वीघा भूमि का विक्रय प्रतिवादी नं0 2 को करके कब्जा प्रतिवादी नं0 2 का करा दिया इस प्रकार 4 वीघा भूमि पर कब्जा प्रतिवादी नं0 2 का है और मुताबिक विक्रय प्रतिवादी नं0 2 काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 का इन जमीनों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के पूर्वज कमल गिरी के जीवनकाल में ही शंकरपूरी गुसाई के यहा मुताबिक रीति रिवाज हमारी जाति विरादरी के गोद चला गया कमल गिरी ने दौलतगिरी को शंकरपुरी को गोद दे दिया कमलगिरी ने समस्त समाज के समक्ष शंकरपुरी ने उसे बतौर दत्तक ग्रहण किया तभी से दौलतगिरी शंकरपुरी के यहा बतौर दत्तक पुत्र व चेला हो गया और दौलतगिरी से दौलतगिरी का नाम दौलतपुरी हो गया और दौलतपुरी का हमारे खानदान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार प्रतिवादी सं0 2 का कभी ही नही रहा है। न ही वह कभी भी इन आराजीयात पर काबिज नही रहा न ही हमसे व हमारी जायदाद से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक रहा है। दौलतपुरी ने हम वादीगण सं 1 व 2 के पिता व 3 के परपिता कमल गिरी के मरने के बाद [illegible] कमलगिरी गैर कानूनी व बगैर किसी अधिकार [illegible] राजस्व कर्मियों से साज कर अपने नाम 1/4 हिस्से के इन्द्राज करा लिये है। जब कि वादीगण की इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई ताल्लुक या अधिकार कभी नही रहा है। प्रतिवादी नं0 1 आज भी शंकरपुरी की जायदाद पर बतौर दत्तक व चेला काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 13:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के हक में राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत व कपट पूर्ण 1/4 हिस्से के इन्द्राजों को हजफ कराने व अपने नाम की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। दीगर व्यक्तियों को रहन वय व मुन्तकिल करने पर उतारू है। और प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 12/3/2010 को हम वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि मैं उक्त आराजीयात को किसी लटठ् वाले व ताकतवर व्यक्ति को जमीन विक्रय कर दूंगा तुम मेरा कुछ भी नही कर पाओगे हमने प्रतिवादी सं0 1 से विक्रय करने का मना किया तो उसने कहा कि मैं तो विक्रय करके रहूंगा तुम जो कर सको करो और प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने हेतु बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है इसलिये वाद पत्र वादीगण पेश करना आवश्यक आया है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के मुश्तहक है कि वह हम वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 1 को कही रहन व मुन्तकिन नही करे न ही हमारे कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 अलग अलग व्यक्ति है। और हमारे खान दान के नही है प्रतिवादी सं0 2 वादीगण के मध्य सुचारू रूप से काश्त करना सम्भव नही है। प्रतिवादी सं0 2 अधिक भूमि काश्त करना चाहती है और आवस में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के मध्य विवाद बना रहता है। और फसल का पूरा लाभ फरीकेन को नही मिल पा रहा है। बेजा नुकसान हो रहाह है वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करा कर खाता व लगान अलग अलग कायम कराने व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम के इन्द्राज कराने मुश्तहक है। विनाय मुखासमत इन्द्राज दुरूस्त कराने की सन् 2005 में इल्म होने पर व बंटवारे के लिये 12/2/2008 व 13/10/2008 को निर्मला देवी प्रतिवादी के हक में खातेदारी [illegible] पर व उसका हिस्से मौके पर अलग से नही होने [illegible] हाजा पैदा हुई। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 8.7.13 को प्रतिवादी नंबर 1 का जबावदावा बंद किया गया एवं प्रतिवादी नंबर 2 बावजूद तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्यवादी ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी राधेश्यामगिरी पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2064–68 प्रदर्श–2, दौलतपुरी द्वारा किये गये दावा की ऑडरशीट दिनांक 24.05.11 प्रदर्श–3 व दावे की नकल प्रदर्श–4 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराई है। साक्ष्यवादी बंद की गई।

प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी भगवानलाल पुरी डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वाके ग्राम करौली बी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 3693 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा 3821/1 रकवा 14 विस्वा, 3822 रकवा 1 विस्वा, 3823/1 रकवा 4 बीघा 9 विस्वा, 3824/1 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा ख.न. 3826 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा, 3827 रकवा 4 विस्वा, 3828 रकवा 2 विस्वा 3829 रकव 5 विस्वा, 3830 रकवा 1 विस्वा, 3831 रकवा 7 विस्वा, 3835 रकवा 2 विस्वा, 3836 रकवा 1 विस्वा 3837 रकवा 2 विस्वा 3840 रकवा 5 विस्वा, 3841 रकवा 1 विस्वा, 3842 रकवा 2 विस्वा 3847/1 रकवा 16 विस्वा कुल किता 18 कुल रकवा 12 बीघा 18 विस्वा की स्थित है। जिनमें वादीगण का 1/3, 1/3,1/3 हक व हिस्सा है। मुताबिक [illegible] वादीगण अपने अपने हिस्से पर वहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी ओम प्रकाश ने ख.न. 3823/1 के अलावा 1/4 हिस्से की भूमि रकवा 2 बीघा भूमि को प्रतिवादी सं0 2 को विक्रय कर कब्जा करा दियाव वादी संन 1 व 2 ने ख0न0 3823/1 के अलावा उपरोक्त आराजीयात के अपने हिस्सें की भूमि में से रकवा 2 बीघा भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:
Reason: SelfAttested

विकय प्रतिवादी नं0 2 को करके कब्जा प्रतिवादी नं0 2 का करा दिया इस प्रकार 4 वीघा भूमि पर कब्जा प्रतिवादी नं0 2 का है और मुताबिक विकय प्रतिवादी नं0 2 काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 का इन जमीनों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के पूर्वज कमल गिरी के जीवनकाल में ही शंकरपूरी गुसाई के यहा मुताबिक रीति रिवाज हमारी जाति विरादरी के गोद चला गया कमल गिरी ने दौलतगिरी को शंकरपुरी को गोद दे दिया कमलगिरी ने समस्त समाज के समक्ष शंकरपुरी ने उसे बतौर दत्तक ग्रहण किया तभी से दौलतगिरी शंकरपुरी के यहा बतौर दत्तक पुत्र व चेला हो गया और दौलतगिरी से दौलतगिरी का नाम दौलतपुरी हो गया और दौलतपुरी का हमारे खानदान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार प्रतिवादी सं0 2 का कभी ही नही रहा है। न ही वह कभी भी इन आराजीयात पर काबिज नही रहा न ही हमस` व हमारी जायदाद से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक रहा है। दौलतपुरी ने हम वादीगण सं 1 व 2 के पिता व 3 के परपिता कमल गिरी के मरने के बाद बतौर वारि कमलगिरी गैर कानूनी व बगैर किसी अधिकार ककपट पूर्ण तरीके से राजस्व कर्मियों से साज कर अपने नाम 1/4 हिस्से के इन्द्राज करा लिये है। जब कि वादीगण की इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई ताल्लुक या अधिकार कभी नही रहा है। प्रतिवादी नं0 1 आज भी शंकरपुरी की जायदाद पर बतौर दत्तक व चेला काबिज काश्त है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के हक में राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत व कपट पूर्ण 1/4 हिस्से के इन्द्राजों को हजफ कराने व अपने नाम की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। दीगर व्यक्तियों को रहन वय व मुन्तकिल करने पर उतारू है और प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 12/3/2010 को हम वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि में उक्त आराजीयात को किसी लट्ठ वाले व ताकतवर व्यक्ति को जमीन विकय कर दूंगा तुम मेरा कुछ भी नही कर पाओगे हमने प्रतिवादी सं0 1 से विकय करने का मना किया तो उसने कहा कि मैं तो विकय करके रहूंगा तुम जो कर सको करो और प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हेतु बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है इसलिये वाद पत्र वादीगण पेश करना आवश्यक आया है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के मुश्तहक है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि में दौलतगिरी का 1/4 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादी काबिज काश्त बतौर खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 कमलगिरी दौलतपुरी का प्राकृतिक पुत्र है। वादी का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा व कब्जा नहीं है। वादी कोई घोषणा खातेदारी व बंटवारा कराने का एवं प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2064–67 में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को छुट्टन के साथ निर्मला देवी पत्नि दुर्गालाल जाति राजपूत निवासी छतपाडा को विक्रय कर चुका है। जिसका नामांतकरण नंबर 2870 दिनांक 13.10.2008 को निर्मला देवी के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 में दर्ज है एवं प्रदर्श–2 में दर्ज आराजीयात प्रतिवादी नंबर 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने कमलगिर के समय की भूमि होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। वादी अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:26
Reason: SelfAttested